2025/490

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

राजूराम बनाम ओमप्रकाश आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 116 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.07.2025	प्रार्थी राजूराम की तरफ से वकील श्री करणीसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा कुलचासर के खाता सं. 227/40 के ख.नं. 583/218 की 0.238 है. व खाता सं. 228/40 के ख.नं. 582/218 की 1.625 है., 589/473 की 1.987 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने व खड़ी फसल को नुकसान कारित करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा गै.मु. रास्ता, गै.मु. खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.08.2025 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
5.08.2025	...उपस्थित/PO ... पेश हुई है। पत्रावली वास्ते ... दिनांक 09.10.2025 को पेश हो।	
09.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई फिर भी हाजिर नहीं। प्रार्थना-पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.10.24 16:42:14 IST
Reason: SelfAttested